राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
भारत सरकार

नई दिल्ली
10 अक्तूबर, 2016

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे क्रियाकलापों में बच्चों का प्रयोग न करने के लिए अभिभावकों और समुदाय नेतृत्वकर्ताओं को अपील करता है जो उनके जीवन को संकट में डालते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हैदराबाद की किशोरी की मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त की है जिसनें 68 दिन का उपवास रखते हुए दम तोड दिया था तथा आयोग सभी अभिभावकों/समुदाय नेतृत्वकर्ताओं से अपील करता है कि वे बच्चों को ऐसी तनावपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिस्थतियों में न डालें जिनमें उन्हें समस्याए हों और जो उनके लिए घातक सिद्ध हों।

आयोग ने ऐसे रीति–रिवाजों को मानने वालों को भी आगाह किया है कि वे ऐसे जोखिमों के विषय में सचेत रहें तथा यह कहा है कि यदि आवश्यक होगा, तो आयोग उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं झिझकेगा।

आयोग की यह अपील हाल ही में समाचारपत्र में प्रकाशित हुई 13 वर्षीय हैदराबाद की बालिका की मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है। आयोग की अध्यक्ष और सदस्यगण का यह मानना है कि बालकों (0–18 वर्ष के आयु वर्ग में) पर जबरन थोपी गई ऐसी धार्मिक/सामाजिक प्रथाएं जो उनके हित में नहीं होती हैं, बाल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तथा उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है।